भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4438

जिसका उत्तर दिनांक 30.03.2022 को दिया जाना है

एकीकृत परिधि संरक्षण परियोजनाएं

4438. डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु के कलपक्कम में केएपीएस, एमएपीएस और कुडनकुलम में केकेएनपी 1 और 2, 3 और 4 सहित न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआईएल) के विभिन्न एटॉमिक और न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशनों में एकीकृत परिधि संरक्षण परियोजनाएं शुरू की हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत सात वर्षों के दौरान निष्पादित परियोजनाओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनका मूल्य क्या है ?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) जी, हां ।

(ख) एमएपीएस से लेकर केकेएनपीपी 1 व 2 तक (एमएपीएस 1 व 2, एनएपीएस 1 व 2, केएपीएस 1 व 2, केजीएस 1 व 2, केजीएस 3 व 4, आरएपीएस 3 व 4, आरएपीएस 5 व 6, टीएपीएस 3 व 4 और केकेएनपीपी 1 व 2) सभी प्रचालित नाभिकीय बिजलीघरों में एकीकृत परिसीमा संरक्षण प्रणालियों का क्रियान्वयन किया गया है । साथ ही, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) द्वारा निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार, समय-समय पर प्रणालियों का उन्नयन भी किया जाता है । टीएपीएस 1 व 2 और आरएपीएस 1 व 2 के संबंध में, एकीकृत परिसीमा संरक्षण परियोजना आरंभ की गई है ।

चालू वर्ष सहित पिछले सात वर्षों के दौरान क्रियान्वित/उन्नयन की गई एकीकृत परिसीमा संरक्षण प्रणालियों पर वहन किया गया खर्चा रुपए 11.54 करोड़ है ।

*****